समाहरणालय, कटिहार

जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग,
कटिहार।

बिहार सरकार

यशस्वी,
प्रभारी सहायक निदेशक,
सा०सु०को०,कटिहार।
Email- adsskatihar2025@gmail.com

संचिका सं०– .....18-06/2026) पत्रांक–1003....सा0सु0 कटिहार, दिनांक–20-11-26

सेवा में,

जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी,
कटिहार।

विषय :– भिक्षुको के सर्वे हेतु सर्वेयर/वॉलेनटीयर की आवश्यकता से संबंधित सूचना कटिहार जिला के वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में।

प्रसंग :– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, एस०एस०यू०पी०एस०डब्ल्यू० 'सक्षम', बिहार पटना का पत्रांक–121 दिनांक–25.01.2026।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि मुख्यमंत्री भिक्षावृति निवारण योजना के लिए जिला कटिहार में नगर निगम/नगर–परिषद्/नगर–पंचायत के सार्वजनिक स्थलों यथा रेलवे स्टेशन/बस पड़ाव/मंदिर/मस्जिद/अन्य स्थलों के आसपास भिक्षाटन कर जीवनयापन कर रहे एकल/पारिवारिक महिला, पुरूष, बच्चों एवं ट्रांसजेंडर की पहचान एवं सर्वेक्षण किया जाना है। सर्वे कार्य हेतु सर्वेयर/वॉलेनटीयर की आवश्यकता हैं। सर्वेयर/वॉलेनटीयर की आवश्यकता से संबंधित सूचना इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि संबंधित सूचना NICके वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

विश्वासभाजन

सहायक निदेशक,
सामाजिक सुरक्षा कोषांग,
कटिहार।
20/11/26

Scanned with CamScanner

आवश्यकता है सर्वेयर/वॉलेनटीयर की

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सक्षम, बिहार, पटना के पत्रांक–121, दिनांक–25.01.2026 के आलोक में श्री सुजीत वर्णवाल, पिता–अमरनाथ मंडल, सा०–हफलागंज, जिला–कटिहार को ज्ञापांक–117, दिनांक–11.02.2026 के माध्यम से कटिहार जिला अंतर्गत भिक्षुकों का सर्वेक्षण करने हेतु सर्वेयर पद पर अस्थायी रूप से चयनित किया गया था। उनके द्वारा सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण नहीं किये जाने एवं सर्वेयर पद से मुक्त होने हेतु जनशिकायत कोषांग में आवेदन समर्पित किये जाने के कारण उनके अस्थायी चयन को इस कार्यालय का ज्ञापांक–1002, दिनांक–19.11.2026 द्वारा समाप्त किया गया है। फलस्वरूप कटिहार जिला अंतर्गत भिक्षुकों का सर्वेक्षण हेतु अस्थायी सर्वेयर के चयन हेतु पद रिक्त होने के कारण "मुख्यमंत्री भिक्षावृति निवारण योजना" अन्तर्गत नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत के सार्वजनिक स्थलों यथा रेलवे स्टेशन/बस पड़ाव/मंदिर/मस्जिद/अन्य स्थलों के आसपास भिक्षाटन कर जीवनयापन कर रहे एकल/पारिवारिक महिला, पुरुष, बच्चें एवं ट्रांसजेंडर की पहचान एवं सर्वेक्षण करने हेतु एक अस्थायी सर्वेयर/वॉलेनटीयर की आवश्यकता है। सर्वेक्षण का उद्देश्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से आच्छादित कर भिक्षुकों का पुनर्वास किया जाना है। सर्वेक्षण के क्रम में सामान्य ट्रांसजेंडर/फुटपाथ/स्लम बस्ती में गुजर बसर करने वाले अति निर्धन वर्ग समुदाय सम्मिलित नहीं होंगे।

सर्वेयर मानव बल की सेवा संबंधी शर्ते –

I. स्थानीय स्तर/जिला द्वारा बिहार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम अंतर्गत कुशल श्रेणी के श्रमिकों के लिए प्रावधानित राशि के समतुल्य राशि भुगतान कर दैनिक आधार पर सर्वेयर/वॉलेनटीयर की सेवा अस्थाई तौर पर माह में 26 कार्य दिवस के लिए लेते हुए सर्वेक्षण कार्य संपन्न किया जाना है। कटिहार जिला अंतर्गत विभाग द्वारा निर्धारित किये गये लक्षित भिक्षुकों की संख्या 500 (पॉच सौ) है, जिनका सर्वेयर द्वारा सर्वे किया जाना है।

II. शैक्षणिक योग्यता– न्यूनतम 10+2 (12वीं) उत्तीर्ण तथा हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा का लिखने पढ़ने एवं मोबाइल/कंप्यूटर में आँकड़ा संग्रहित करने में दक्ष होना चाहिए।

III. पूर्व से ऐसे समतुल्य कार्य करने वाले सर्वेयर/वॉलेनटीयर को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी।

IV. सर्वेयर मानव बल की उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए।

V. सर्वेक्षण कार्य पर लगाये जाने वाले मानव बल या कर्मी के पास पूर्व से 4GB RAM तथा 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ 5G/4G सपोर्ट के साथ एंड्रॉयड मोबाईल फोन अच्छी गुणवत्ता वाला कैमरा के साथ होना अनिवार्य है। इस आलोक में एक मुश्त राशि रू0 349/– इंटरनेट भत्ता एक माह के लिए देय होगी।

VI. भिक्षुकों का सर्वेक्षण के क्रम में सुलभ आवा–गमन के दृष्टिगत अतिरिक्त एक मुश्त राशि रू0 4000/– रूपये यात्रा भत्ता देय होगी। संबंधित सर्वेयर मानव बल के पास दो पहिया वाहन होने पर वरीयता दी जाएगी।

VII. पारिश्रमिक – एक मुश्त 14,066/– दैनिक पारिश्रमिक, 349/– रू० मोबाईल फोन/इंटरनेट भत्ता एवं 4000/– अधिकतम यात्रा भत्ता अधिकतम 26 कार्य दिवस के लिए भुगतान किया जाएगा।

Scanned with CamScanner

VIII. अस्थायी रूप से सेवा देने वाले सर्वेयर से यह घोषणा पत्र भी अनिवार्य होगा कि उनकी सेवा पूर्ण रूप से अस्थायी है एवं इस ऐवज में अन्य किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगी।

IX. सर्वेयर द्वारा सर्वे का कार्य समय से पूर्व नहीं किये जाने अथवा अपूर्ण कार्य की परिस्थिति में किसी भी प्रकार के पारिश्रमिक का भुगतान देय नहीं होगा एवं चयन को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा।

X. विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्र में वर्णित सभी कॉलम अंतर्गत वांछित सूचनाओं को गूगल फॉर्म (Google Form) में इंट्री सर्वेयर के द्वारा करना अनिवार्य होगा, जिसके सत्यापन उपरांत ही पारिश्रमिक देय होगा। किसी भी परिस्थिति में आधे–अधूरे भरे हुए फॉर्म/कॉलम मान्य नहीं होगा।

इच्छुक व्यक्ति दिनांक–**26.11.2026** तक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, कटिहार में आवेदन कर सकते हैं।

20/11/26.

सहायक निदेशक,
जिल सामाजिक सुरक्षा कोषांग,
कटिहार।
20/11/26
20/11/26

Scanned with CamScanner